छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा जो छात्रावास में प्रवेश चाहता/चाहती है उसे छात्रावास के कार्यालय से एक आवेदन पत्र, जो कि विवरणिका के साथ उपलब्ध होगा। जिसका शुल्क 100 रू. होगा। इस प्रकार के आवेदन पत्रों को भरने की अंतिम तिथि नोटिस बोर्ड पर दर्शायी जायेगी। छात्र/छात्राओं का प्रवेश उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यकता के आधार पर दिया जावेगा। छात्रावास में प्रारम्भ में प्रवेश प्रतिशत 65 प्रतिशत निर्धारित है। 65 प्रतिशत या इससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र यथेष्ठ संख्या में नहीं आने एवं छात्रावास में सीट खाली रहने पर 31 अगस्त के पश्चात् 65 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले आवेदक छात्रों के लिए योग्यता के आधार पर प्रवेश के हेतु कार्यवाही की जावेगी। छात्रावास में 96 सीट नियमिति छात्रों के लिए एवं 15 सीट अतिथि छात्रों के लिए निर्धारित है। लेकिन छात्राओं के विषय में परिस्थिति अनुसार विचार किया जायेगा। उपरोक्त प्रवेश प्रतिशत नियम M.B.B.S., B.Tech., B.E., B. Pharma, C.S., C.A., BAMS/Professional छात्र/छात्राओं पर Pre Test पास करने पर लागू नहीं होगा। लेकिन योग्यता प्रधान रहेगी। कमरों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर किया जायेगा।
2. प्रवेश प्रार्थना पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर अर्हता अनुसार प्रमाण-पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण प्रार्थना पत्र एवं अर्हता की फोटो प्रति मूल प्रमाण पत्र या अंकतालिका के अनुसार नही होने पर प्रवेश प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रवेशार्थी को साक्षात्कार के समय अथवा मांगे जाने पर फोटो प्रति के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद आवेदकों की योग्यता सूची बनाई जायेगी। प्रवेश योग्य पाये जाने वाले छात्र/छात्राओं की सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी।
3. गलत, मिथ्या व कपटपूर्ण सूचना प्रेषित कर प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं का प्रवेश किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकेगा एवं उनके सभी जमा शुल्क लौटाये नहीं जायेंगे।
4. पूर्व में छात्रावास में रह रहे छात्र को पुनः प्रवेश छात्र/छात्रा के गत वर्ष के आचरण एवं शैक्षणिक performance के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
5. छात्र/छात्रा का प्रवेश छात्रावास में साधारणतया पूर्ण डिग्री/कोर्स के लिए होगा। सभी छात्रों/छात्राओं के प्रति वर्ष पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा, प्रवेश के पश्चात छात्र/छात्रा-
   (अ) स्नातक या अधिस्नातक व अन्य परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे।
   (ब) सेमेस्टर परीक्षा (मेडिकल, इंजिनियरिंग, बी. फार्मा, आयुर्वेद, प्रोफेशनल) में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
   (स) सी.ए./सी.एस. में दो प्रयास के अवसर दिये जा सकेंगे।

   परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत से कम अंक आने पर या फेल होने पर छात्र/छात्रा को आगे वाले सत्र में छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. यदि अनुर्त्तीण होने का कारण दुर्घटना आदि है तो प्रबन्ध समिति/ निदेशक ऐसे मामलों में स्व-विवेक से निर्णय ले सकेंगे। छात्र/छात्रा का व्यवहार अपेक्षित स्तर का नही रहने पर उसे छात्रावास से कभी भी निष्काशित जा सकेगा अथवा पुनः प्रवेश नही दिया जावेगा।
7. सभी छात्र/छात्रायें निदेशक/वार्डन से पूर्व अनुमति प्राप्त कर छात्रावास छोड़ सकेंगे। बिना लिखित अनुमति व यथेष्ट कारण से छात्रावास में अनुपस्थित रहेगा/रहेगी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। पुनः प्रवेश के लिए शिक्षा समिति निर्णय लेगी।
8. योग्य प्रवेशार्थी छात्र/छात्राओं की योग्यता सूची छात्रावास के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें साक्षात्कार/प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि भी अंकित होगी। प्रवेशार्थी छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु साक्षात्कार/काऊंसिलिंग तिथि पर अपने अभिभावकों/संरक्षक सहित उपस्थित होना आवश्यक होगा। अभिभावकों की अनुपस्थिति पर प्रवेश नही दिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में केवल संरक्षक के उपस्थिति होने पर, सेवा संस्थान के न्यासी की अनुशंसा भी आवश्यक होगी।

9. निष्कासित छात्र/छात्रा को कोई भी छात्र/छात्रा अपने कमरे में नही ठहरायेगा यदि इस नियम की अवहेलना की गई तो आवासीय छात्र को दुराचरण का दोषी मानकर छात्रावास से निष्कासित किया जा सकेगा।

2. ऐसे छात्रों/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा–

1. जो पूर्णकालिक रोजगार/व्यवसाय कर रहा है। छात्राओं के लिए परिस्थिति अनुसार विचार किया जायेगा।
2. जो छात्र/छात्रा किसी आपराधिक प्रकरण में लिप्त है।
3. ऐसे छात्र/छात्रा जिन्होंने छात्रावास/शिक्षण संस्था परिसर में कोई दुराचरण किया है।
4. जिन छात्रों/छात्राओं ने छात्रावास में रहते हुए 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।
5. 28 वर्ष से अधिक उम्र वाले छात्र/छात्रा को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 28 वर्ष पूर्ण करने पर छात्रावास खाली करना होगा। यह नियम अतिथि छात्रों पर लागू नहीं होगा।

3. छात्रावास की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था –

1. छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा से यह आशा की जाती है कि वह छात्रावास की प्रत्येक सम्पत्ति का रख-रखाव व देखभाल वैसे ही करेंगे जैसे की एक सामन्य व्यक्ति स्वयं की संम्पत्ति की करता है। छात्रावास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने पर व्यक्तिशः/सामुहिक रूप से क्षति पूर्ति की जावेगी। प्रत्येक छात्र/छात्रा से ऐसा आचरण एवं व्यवहार अपेक्षित है कि जो एक सभ्य मानव में वांछनीय है। दुराचरण एवं दुर्व्यवहार के मामलों में जांच के बाद शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
2. छात्रावास में रहने वाले छात्रों/छात्राओं के अतिथियों को दिन में निर्धारित समय पर ही मिलने की सुविधा होगी। छात्राओं को प्रवेश के समय अपने माता-पिता द्वारा अधिकृत दो संरक्षकों की पूर्ण सूचना मय फोटों प्रवेश फार्म के साथ, प्रस्तुत करनी होगी। इन्ही अधिकृत संरक्षकों को ही छात्रा से मिलने की अनुमति दी जायेगी अन्य किसी को छात्रा से मिलने नहीं दिया जायेगा।

   विशेष परिस्थितियों में छात्रा के निकटतम सम्बन्धी को आवश्यक होने पर महिला वार्डन/निदेशक की पूर्व अनुमति से ही मिलने की अनुमति दी जायेगी। छात्र/छात्राओं के कमरों में बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष मामलों में निदेशक निर्णय ले सकेंगे।

   छात्र/छात्राओं से छात्रावास में मिलने का समय ग्रीष्मकाल में सायं 5 से 7 व शीतकाल में सायं 4-6 होगा। निर्धारित समय से पूर्व/पश्चात मिलने की सुविधा नहीं होगी।
3. सभी छात्रों/छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश के पूर्व प्रतिज्ञा/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा।
4. आवासीय छात्र/छात्रा को चाहिये कि वे अपने कमरे के बाहर उचित व पूर्ण पौशाक में आयें।
5. छात्रावास परिसर का उपयोग किसी भी परिस्थिति में राजनैतिक व व्यक्तिगत लाभ कराने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकेगा।
6. अन्तवासी छात्र/छात्रा छात्रावास से बाहर जाते समय एवं आगमन पर पंजियन रजिस्टर (Movement Register) में पूरा विवरण अंकित करेंगे।
7. छात्र/छात्रा द्वारा छात्रावास भवन से प्रस्थान करने के पश्चात् सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।
8. वाचनालय में निर्धारित स्थान से समाचार पत्र,पत्रिकायें अन्यत्र ले जाना वर्जित है।
9. किसी भी छात्र/छात्रा को अपने अतिथि को ठहराने हेतु निदेशक/वार्डन की पूर्वानुमति लेनी होगी और निश्चित शुल्क जमा करवाना होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिथि को ठहराता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। ऐसे

छात्र/छात्राओं का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त भी किया जायेगा, अतिथियों को अधिकतम तीन दिन तक आवास करने की अनुमति दी जा सकती है। छात्र/छात्राओं के अभिभावक/सम्बन्धी का छात्रावास में ठहरने का चार्ज निम्न होगा–

(अ) First Blood Relation (माता–पिता, सगे भाई–बहिन) रू. 50 प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

(ब) Second Blood Relation रू. 100 प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

(स) अन्य रिश्तेदार व मित्र को ठहरने की अनुमति नहीं होगी।

10. आवासीय छात्रों/छात्राओं के ही अतिथि छात्रावास में रूक सकेंगे। यदि छात्र/छात्रा छात्रावास में उपस्थित नहीं है तो उनके अतिथि को छात्रावास में ठहरने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जिस छात्र/छात्रा के अतिथि छात्रावास में ठहरेंगे उसके छात्रावास में प्रवेश के साथ ही संबंधित आवासीय छात्र/छात्रा को अतिथि पंजिका में अतिथि के ठहराने की प्रविष्टी करनी होगी। अतिथि पंजिका में प्रविष्टी किये बिना अतिथि को छात्रावास में ठहराना पूर्णतया निषेध है एवं नियमों का उल्लंघन माना जायेगा तथा प्रति अतिथि नियम 9 (अ) रू. 100 तथा 9 (ब) में रू. 200 प्रतिदिन दण्ड स्वरूप वसूल किये जायेंगे।

11. (अ) छात्र/छात्रा के अस्वस्थ होने पर अन्तःवासी छात्र/छात्रा को चिकित्सा व्यवस्था स्वयं करनी होगी। गंभीर स्थिति में स्थानीय संरक्षक जिम्मेदार होंगे। संस्थान यथा संभव सहयोग करेगा।

(ब) प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् यह प्रतीत होने पर कि छात्र/छात्रा में किसी मानसिक व्याधि से ग्रस्त होने के लक्षण/कार्यकलाप परिलक्षित हो रहे है ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा के अभिभावक को सूचित कर दिया जावेगा एवं अभिभावक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने छात्र/छात्रा को तुरन्त छात्रावास से चिकित्सा हेतु ले जायेंगे एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के पश्चात् छात्रावास में रहने की अनुमति दी जावेगी। अभिभावकों द्वारा छात्र/छात्रा को चिकित्सा हेतु नही ले जाने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा के अभिभावकों को सूचित करते हुये सम्बन्धित छात्र/छात्रा को निष्कासित कर दिया जावेगा।

(स) छात्र/छात्रा के अस्वस्थ रहने पर अस्वस्थ होने की सूचना स्थानीय संरक्षक को प्रेषित करने की बाद भी वह अपने छात्र/छात्रा को नहीं संभालता है तो किसी अप्रिय घटना के लिये संस्थान जिम्मेदार नही होगा।

(द) यदि कोई छात्र/छात्रा छूत की बीमारी से ग्रस्त है अथवा ग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे बीमार छात्र/छात्रा को तुरन्त छात्रावास खाली करना होगा।

12. जयपुर शहर के प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य परीक्षा हेतु सीमित समय के लिए छात्र आते रहते हैं। ऐसे अस्थाई छात्रों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास में Tripple Seat कमरों में 15 सीट आरक्षित की गई है। अतिथि छात्रों को आवासीय सुविधा निम्न शुल्क लेकर प्रदान की जायेगी–

1. 1 दिन से अधिकतम 30 दिनों के लिए अतिथि छात्र से रू. 50 प्रति दिन एवं 30 दिन से अधिक ठहरने पर 60रू. प्रतिदिन शुल्क देना होगा। अतिथि छात्र को उपलब्धानुसार बिस्तर की व्यवस्था 10 दिन तक ठहरने वाले छात्र/छात्रा को ही होगी। अधिक अवधि के लिए स्वयं का बिस्तर लाना होगा।

13. अन्तःवासी छात्र/छात्राओं को आगाह किया जाता है कि छात्रावास परिसर में अपने किसी भी अन्तःवासी छात्र/छात्रा व अन्य को किसी भी तरह से अशिष्ट शब्दों, संकेतों, एसएमएस, मोबाइल कॉल एवं शारीरिक यातना के द्वारा प्रताड़ित (रेगिंग) नहीं करें, यदि किसी छात्र/छात्रा के विरूद्ध प्रताड़ित या रेगिंग करने सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होती है तो तुरन्त ही पुलिस में सूचना दी जायेगी तथा संस्थान द्वारा जाँच के बाद अगर छात्र/छात्रा दोषी पाया जाता/जाती है तो कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अर्न्तगत आर्थिक दण्ड/ और निष्कासन किया जा सकता है।

छात्रावास में देय शुल्क

1. छात्रावास का सत्र दो भागों में विभाजित होगा, पहला 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, द्वितीय 1 जनवरी से 30 जून तक (अथवा परीक्षा पूर्ण होने तक) छात्रों/छात्राओं की वार्षिक शुल्क हर वर्ष प्रवेश के समय जमा कराना होगा तथा अवधि शुल्क प्रवेश के समय/जुलाई और जनवरी में जमा करानी होगी।

   (क) वार्षिक शुल्क — 1500 रू.

   (ख) अविध शुल्क

   (अर्द्धवार्षिक)

   1. एक व्यक्ति के ठहरने का कमरा — 5200 रू. + छात्रावास विकास फण्ड 300 रू.
   2. दो व्यक्तियों वाला कमरा — 4000 रू. + छात्रावास विकास फण्ड 200 रू.
   3. तीन व्यक्तियों वाला कमरा — 3500 रू. + छात्रावास विकास फण्ड 150 रू.
   4. कम्प्यूटर शुल्क — 600 रू.

   (ग) सुरक्षा जमा (मैस एवं छात्रावास) — 4000 रू. (लौटाने योग्य)

   (घ) प्रत्येक वर्ष की 20 जनवरी तक अर्द्धवार्षिक अवधि शुल्क एवं छात्रावास विकास फण्ड रू. 5500/-,4200/- एवं 3650/- तथा 600/- रू. कम्प्यूटर शुल्क पुनः देय होगा।

   (ड़) यदि किसी छात्र/छात्रा में छात्रावास की बकाया राशि है व उसके द्वारा जमा नही कराई जाती है तो ऐसी बकाया राशि को सुरक्षा जमा में से काटी जायेगी।

2 मैस की दरें

मैस शुल्क निम्नानुसार होगा-

- मैस शुल्क एवं गेस्ट डाइट मैस ठेकेदार के निविदा अनुसार प्रत्येक वर्ष शिक्षा समिति तय करेगी।
- न्यूनतम 30 डाइट लेनी होगी। विशेष परिस्थिति में शिक्षा समिति निर्णय ले सकेगी।
- प्रवेशार्थी को मैस सुरक्षा राशि छात्रावास छोड़ने पर लौटाने योग्य होगी। यदि किसी छात्र/छात्रा के द्वारा मैस शुल्क जमा नही कराया जाता है तो सुरक्षा राशि में से समायोजित किया जायेगा।
- तीन माह का मैस शुल्क अग्रिम देना होगा। अग्रिम जमा नही होने पर मैस सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी। मैस शुल्क तिमाही समाप्त होने पर अगले माह की 5 तारीख तक जमा करानी होगी।

नोट :चाय/दूध अन्तवासी छात्र/छात्रा स्वयं की रिस्क पर बनाएंगे। इसके लिए 10 रू. प्रतिमाह वसूल कर गैस मैस ठेकेदार उपलब्ध करायेगा। चाय बनाने का समय प्रातः 6.00 से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा।

3. सभी प्रकार के शुल्क नकद,डीडी या चैक (payable at JAIPUR), श्री खाण्डल शैक्षणिक संस्थान एवं छात्रावास के खाता नम्बर 98150100001663 में देय, छात्रावास के कार्यालय में जमा किये जायेंगे।
4. छात्रावास में जो राशि जमा करायी जाएगी उसकी रसीद जारी की जायेगी।अत: सभी छात्र/छात्रायें शुल्क रसीदों को सुरक्षित रखें।
5. छात्रावास में सभी जमा सुरक्षा राशि का भुगतान छात्रावास छोड़ने पर किया जायेगा। अग्रिम सुरक्षा राशि को प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को सात दिन पूर्व प्रार्थना पत्र देना होगा।
6. निर्धारित तिथि पर देय शुल्क जमा नहीं कराने पर नियमों की अवेहलना मानी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में समय सीमा की छूट हेतु निदेशक से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
7. छात्र/छात्रा द्वारा मासिक मैस चार्ज 3 माह का अग्रिम जमा कराना होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा मैस चार्ज जमा कराये बिना छात्रावास छोड़कर चला जाता/जाती है, तो सुरक्षा राशि में से मैस चार्ज राशि काटकर मैस ठेकेदार को भुगतान कर दी जायेगी।